न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–58 / 2026
उत्पन्न परिवाद पत्र संख्या :–500 / 2024

1. नंदन कुमार उर्फ नंदन यादव, साकिन–रूपौली, वार्ड नं0–03, उम्र लगभग 27 वर्ष, थाना–गम्हरिया, पिता–जगदीश यादव जिला–मधेपुरा। –आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

26–03–2026

प्रार्थी अभियुक्त नंदन कुमार उर्फ नंदन यादव का अग्रिम जमानत आवेदन जो परिवाद पत्र संख्या–500 / 2024 अन्तर्गत धारा–85, 126(2), 115(2), 303(1), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार सिंह द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई आपराधिक कृत्त नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अपने रिश्तेदार के घर गया था जहाँ उसका परिवादिनी से जबरन विवाह करा दिया गया, एवं बाद में पता चला कि परिवादिनी की मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तथा बार–बार अपना वैवाहिक घर छोड़कर खुलेआम दुराचार करती रहती है। परिवादिनी के परिवाद पत्र में भी अनेक विरोधाभास है। आगे कहते है कि आवेदक अपनी पत्नी (परिवादिनी) को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है। आवेदक के विरूद्व विवाह मे 10 लाख उपहार देने की बात तथा अन्य सभी आरोप अस्वभाविक और स्पष्ट रूप से झूठे है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar 26.03.26

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि परिवादिनी मनीषा कुमारी का विवाह दिनांक 14.07.20 को प्रार्थी अभियुक्त नंदन यादव के साथ हुई थी। शादी में परिवादनि के माता–पिता द्वारा तीन लाख रूपया तथा पलंग, मोटरसाइकिल इत्यादि उपहार के रूप दिया गया। शादी के बाद अपने ससुराल 10–15 दिनो तक परिवादिनी ठीक–ठाक से रह रही थी। परंतु कुछ दिनों के बाद ससुराल वालों द्वारा रूपये आदि की मॉग किया जाने लगा तथा मॉग पूरी नहीं किये जाने पर पागल कहकर परिवादिनी को मारपीट गाली–गलौज करते हुए प्रताड़ित करने लगा तथा हत्या करने का भी प्रयास किया जाने लगा।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–58 / 2026
उत्पन्न परिवाद पत्र संख्या :–500 / 2024

लगातार
26–03–26

– घटना के संबंध में अपने माता–पिता एवं पड़ोसियों को जानकारी दिया तथा पंचायती भी बैठी परंतु जिसका कोई लाभ नहीं हुआ तथा परिवादिनी का सभी सोना चॉदी, बैंग, साड़ी इत्यादी छीनकर घर से निकाल दिया एवं अब अपने मायके मे रह रही है। परिवादिनी का कथन है कि गर्दन में जख्म एवं सम्पूर्ण शरीर में मारपीट का इलाज भी कराई है।

उभय पक्षों को सुना। निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख एवं परिवाद पत्र का अवलोकन किया। आवेदक के विरूद्व धारा– 85, 126(2), 115(2), 303(1), 352, 351(1), 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया गया है। आवेदक के विरूद्व परिवादिनी से दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने, प्रताड़ित करने एवं घर से बाहर निकाल देने का अभियोग है। जॉच साक्षियों ने अपने साक्ष्य मे घटना का समर्थन किया है। अभिलेख अवलोकनोपरांत दिनांक– 07.02.2026 के न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने आवेदक के साथ रहने की सहमति जताई है तथा मध्यस्थता के दौरान आवेदक ने भी परिवादिनी को साथ रखने व साथ ले जाने की बात कही है जिसके लिए न्यायालय ने दिनांक–21.02.26 को अपनी पत्नी परिवादिनी के साथ जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया था परंतु आवेदक द्वारा न्यायालय के उक्त आदेश का उल्लंघन किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा अपने स्तर से प्रयास किया गया परंतु आवेदक न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक, परिवादिनी का पति है तथा प्रथमदृष्टया उसकी कांड मे संलिप्तता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
26.03.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।